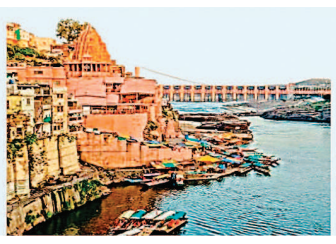

घोटालों पर कार्रवाई को लेकर सवाल

सहकारी बैंक घोटालों पर बढ़ा राजनीतिक दबाव, कांग्रेस ने कलेक्टर को सौंपी शिकायत

नवभारत न्यूज

खंडवा। वित्तीय गबन, खाद वितरण घोटाले और सोसायटी प्रबंधक भर्ती में अनियमितताओं के मामलों ने जिले में राजनीतिक सरगर्मी तेज कर दी है। करोड़ों रुपये की अनियमितताओं के बावजूद अब तक जिम्मेदारों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं होने को लेकर विपक्ष सरकार और प्रशासन पर सवाल उठा रहा है।नहल्दा और रामेश्वर समितियों में 1.10 करोड़ रुपये की वित्तीय गड़बड़ी सामने आने के बाद भी केवल निलंबन की कार्रवाई, वहीं खाद घोटाले में अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध होने के बावजूद सिर्फ एक आउटसोर्स कर्मचारी पर एफआईआर दर्ज होना, पूरे सिस्टम की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर रहा है। इसी तरह सोसायटी प्रबंधक भर्ती में 92 आवेदकों में से केवल 10 को पात्र घोषित

करना भी गंभीर अनियमितता के रूप में देखा जा रहा है।इन गंभीर मामलों को लेकर मंगलवार को जिला कांग्रेस अध्यक्ष (ग्रामीण) उत्तमपाल सिंह और जिला कांग्रेस अध्यक्ष (शहर) प्रतिभा रघुवंशी ने जिला कलेक्टर ऋषव गुप्ता से मुलाकात कर समस्याओं से अवगत कराया। कांग्रेस नेताओं ने मांग की कि इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रवक्ता प्रेमांशु जैन और अक्षत अग्रवाल भी उपस्थित रहे।

इधर सहकारी बैंक प्रकरण में रामेश्वर समिति के प्रबंधक विजय लाड़ ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि ऑडिट रिपोर्ट मंगाई गई है और रिपोर्ट आते ही मामले को पुलिस के संज्ञान में लाकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि प्रारंभिक जांच में गबन की पुष्टि पहले ही हो चुकी है, तब ऑडिट के नाम पर एफआईआर में देरी करना संदेह पैदा करता है।कांग्रेस जिलाध्यक्ष ग्रामीण उत्तमपाल सिंह स्पष्ट किया कि सहकारी बैंक किसानों और ग्रामीणों की आर्थिक रीढ़ है और यदि उसमें भ्रष्टाचार को संरक्षण मिला तो आमजन का भरोसा पूरी तरह टूट जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा।

पूरे मामले ओर नवभारत की नजर प्रशासन के अगले कदम पर टिकी है कि क्या वास्तव में दोषियों पर आपराधिक कार्रवाई होगी या यह मामला भी फाइलों में उलझकर रह जाएगा।

अवैध शराब के साथ एक गिरफ्तार

नवभारत न्यूज

खंडवा। जिले में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय के निर्देशन में पुलिस ने सख्त रवैया अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) राजेश रघुवंशी व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) महेंद्र तारणेकर के मार्गदर्शन में सोमवार को जिले भर में विशेष अभियान चलाया गया, जिसके तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों और असामाजिक तत्वों के विरुद्ध व्यापक स्तर पर कार्रवाई की गई। वर्तमान में 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक 卐सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा卐 थीम पर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इसी क्रम में 12 जनवरी को जिले के समस्त थाना क्षेत्रों में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस ने बिना नंबर प्लेट, दो पहिया पर तीन सवारी, बिना हेलमेट, सीटबेल्ट न लगाने, तेज गति, बिना एचएसआरपी नंबर प्लेट और बिना बीमा वाले वाहनों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 155 वाहन चालकों पर कार्रवाई करते हुए उनसे 67,900 रुपये का शमन शुल्क वसूल किया गया। उप पुलिस अधीक्षक यातायात ने आमजन से अपनी सुरक्षा के लिए यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है।अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के क्रम में थाना पिपलोद पुलिस ने भी कार्रवाई की है। पुलिस ने ग्राम केदारखेड़ी निवासी आरोपी बसंत पिता रामलाल बारे (उम्र 55 वर्ष) के कब्जे से 10 लीटर कच्ची हाथ भट्टी की महुआ शराब जब्त की, जिसकी अनुमानित कीमत 1,000 रुपये है। आरोपी के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।

एक नज़र मे

अंतराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025-26 के अंतर्गत सहकारी प्रचार वाहन रवाना

खंडवा/निप्र। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर सहकारिता विभाग खंडवा एवं जिला सहकारी संघ के संयुक्त तत्वावधान में शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु सहकारी प्रचार वाहन रवाना किया गया। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, प्रधान कार्यालय खंडवा से वरिष्ठ अधिकारी श्री गजेन्द्र अत्रे तथा उप आयुक्त सहकारिता कार्यालय से वरिष्ठ अधिकारी श्री दिनेश गुप्ता द्वारा प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया। यह प्रचार वाहन जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक एवं शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाएगा, जिससे किसानों, महिलाओं एवं ग्रामीण नागरिकों को सहकारी तंत्र से जोड़ा जा सकेगा।जिला सहकारी संघ खंडवा के प्रबंधक श्री मेहताब सिंह भदौरिया ने बताया कि इस अभियान के माध्यम से गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन और सामाजिक समावेशन में सहकारी समितियों की भूमिका को उजागर किया जाएगा। साथ ही शासन की योजना के तहत आगामी पांच वर्षों में प्रत्येक पंचायत एवं गांव में पैक्स, डेयरी, मत्स्य पालन एवं नवाचार आधारित सहकारी समितियों की स्थापना की जाएगी।कार्यक्रम में सहकारिता विभाग एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

चेस्ट क्लिनिक का शुभारंभ, फेफड़ों के मरीजों को मिलेगी विशेष सुविधा

खण्डवा. खण्डवा 13 जनवरी 2026, जिला चिकित्सालय खंडवा के पुरानी बिल्डिंग के कक्ष क्रमांक 8 में मंगलवार को स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करते हुए चेस्ट क्लिनिक का शुभारंभ किया गया। सिविल सर्जन डॉ. अनिरुद्ध कौशल ने बताया कि अब फेफड़ों से संबंधित बीमारियों जैसे कि दमा, टीबी और ब्रोंकाइटिस के मरीजों को इलाज और जांच कराने में सुविधा होगी। क्लिनिक में चेस्ट फिजिशियन और विशेषज्ञ द्वारा स्वास्थ्य जांच उपचार एवं परामर्श दिया जाएगा। महामारी विशेषज्ञ डॉ. योगेश शर्मा ने बताया कि प्रदूषण और बदलते मौसम के कारण सांस के मरीजों की संख्या बढ़ रही थी, जिसे देखते हुए यह विशेष क्लीनिक शुरू किया गया है। इस अवसर पर चेस्ट फिजिशियन डॉ. नितिन कपूर, डॉ. सुजीत वर्मा सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

प्राइवेट स्कूलों की मान्यता नवीनीकरण की तिथि बढ़ी

खण्डवा. खंडवा 13 जनवरी 2026, राज्य शिक्षा केन्द्र, ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत संचालित प्राइवेट स्कूलों की मान्यता एवं मान्यता नवीनीकरण के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। शैक्षणिक सत्र 2026ङ्क27 के लिए सभी अशासकीय विद्यालयों को अनिवार्य रूप से ऑनलाइन माध्यम से मान्यता नवीनीकरण अथवा नवीन मान्यता के लिए आवेदन करना होगा। राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा जारी आदेश के अनुसार पूर्व में आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2025 निर्धारित की गई थी, किन्तु तकनीकी एवं व्यावहारिक समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए इसे बढ़ाकर अब 20 जनवरी 2026 कर दिया गया है। राज्य शिक्षा केन्द्र ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा का अधिकार नियम 11 के उपनियम 4(ग) के तहत यदि कोई स्कूल निर्धारित समय-सीमा में ऑनलाइन आवेदन नहीं करता है, तो उस स्कूल को मान्यता विहीन माना जाएगा और विद्यालय का संचालन शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा।

जनसुनवाई में कलेक्टर ने सुनीं समस्याएं, त्वरित निराकरण के निर्देश

कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने जिलेभर से आए नागरिकों की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। इस दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. नागार्जुन बी. गौड़ा, अपर कलेक्टर श्री के. आर. बड़ोले, अपर कलेक्टर श्री अरविंद चौहान, संयुक्त कलेक्टर श्री दिनेश सांवले सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। जनसुनवाई में ग्राम केदारखेड़ी निवासी अनवर ने बताया कि उनका पुत्र आसिफ विकलांग है और उसकी आंख व उंगलियां काम नहीं करने के कारण आधार कार्ड और विकलांग प्रमाण पत्र बनवाने में परेशानी आ रही है।

संकल्प से समाधान अभियान के लिए जिला स्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त

खंडवा। प्रदेश सरकार द्वारा पात्र हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का समय-सीमा में लाभ दिलाने के उद्देश्य से "संकल्प से समाधान अभियान" 12 जनवरी से 31 मार्च 2026 तक संचालित किया जा रहा है। इस विशेष अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने जिला स्तरीय नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. नागार्जुन बी. गौड़ा तथा शहरी क्षेत्र के लिए अपर कलेक्टर एवं परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण श्रीमती सृष्टि देशमुख को नोडल अधिकारी बनाया गया है। दोनों अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जिले के सभी विकासखंडों और नगरीय निकायों में संबंधित विभागों से समन्वय कर अभियान को व्यवस्थित और समयबद्ध तरीके से लागू कराएं, ताकि पात्र हितग्राहियों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ सुनिश्चित रूप से मिल सके।

हिंदू सम्मेलन: समरसता और सामाजिक सुधार का संदेश

नवभारत न्यूज

खंडवा. ओंकारेश्वर में आज मंगलवार कोसंघ शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में हिंदू समाज की एकता, समरसता और सामाजिक सुधार के उद्देश्य से आयोजित हिंदू सम्मेलन में हजारों की संख्या में संत मंडल और नगरवासी शामिल हुए एवं सभी ने एकता का संदेश देते हुए एक साथ सहभोज किया।

पूर्व में जारी संदेशों के अनुरूप सम्मेलन में जातिवाद, कुप्रथाओं और सामाजिक विभाजन को समाप्त कर आदर्श समाज के निर्माण का आह्वान किया गया।

कार्यक्रम की शुरुआत भजन मंडली द्वारा सनातन धर्म के भजनों से हुई। इस अवसर पर सन्यास आश्रम के महामंडलेश्वर स्वामी परमानंद सरस्वती परम शक्तिपीठ कोठी आश्रम से सादगी साक्षी चेतना दीदी कर दर्शन संत मंडल अध्यक्ष मंगलदास त्यागी मालवा प्रांत पर्यावरण प्रमुख अंकित गजकेश्वर सहित साधु संत एवं ग्राम कोठी हावड़ा गुजरी मुखिया ओंकारेश्वर के नागरिक शामिल हुए

सभी अपने-अपने विचार प्रकट किया तथा उद्बोधन में सनातन परंपरा के मूल्यों पर प्रकाश डालते हुए सभी वर्गों को मिलजुल कर रहने और जाति-पात का भेद मिटाने का संदेश दिया।

वक्ताओं ने राष्ट्र के प्रति कर्तव्यबोध, स्वदेश भाव और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता को अपनाने पर जोर दिया। सम्मेलन ने सामाजिक एकता और सद्भाव को मजबूत करने का स्पष्ट संदेश दिया।

वक्फ ट्रिब्यूनल से केस खारिज होने के बाद भी तनाव

नवभारत न्यज

खंडवा. खंडवा। जिले की ग्राम पंचायत सिहाड़ा में शासकीय भूमि के स्वामित्व को लेकर चल रहा विवाद अब गहराता जा रहा है। वक्फ ट्रिब्यूनल भोपाल द्वारा दावा खारिज किए जाने और प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाए जाने के बावजूद गांव में तनाव का माहौल है।

इस गंभीर मामले को लेकर ग्राम पंचायत सिहाड़ा की सरपंच श्रीमती कोकिलाबाई और सरपंच प्रतिनिधि हेमंत सिंह चौहान ने मंगलवार को मुख्यमंत्री, जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को एक लिखित शिकायती आवेदन सौंपा है। शिकायत में शहर काजी और वक्फ दरगाह पीरमोजा के कोषाध्यक्ष सहित अन्य लोगों पर गांव का माहौल खराब करने और दो वर्गों के बीच दंगा भड़काने की साजिश रचने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

ग्राम सिहाड़ा के गोला चौक (वर्तमान शिवाजी चौक) स्थित खसरा नंबर 781 की शासकीय भूमि पर पूर्व में अतिक्रमण किया गया था। वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताई थी जिसे ट्रिब्यूनल ने दावे को सत्य नहीं पाया और उनका केस निरस्त कर दिया। इसके पश्चात, जिला प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में उक्त भूमि से अतिक्रमण हटवाकर कब्जा ग्राम पंचायत को सौंप दिया गया था। पंचायत ने निर्णय लिया था कि इस भूमि का उपयोग अब धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए अनुमति और शुल्क के आधार पर किया जाएगा। विवाद ने तब नया मोड़ ले लिया जब 6 जनवरी 2026 को उक्त स्थान का नामकरण %शिवाजी चौक% करते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया। सरपंच का आरोप है कि इस कार्यक्रम से अनावेदक पक्ष द्वेष भावना रखने लगा। इसके बाद 10 जनवरी 2026 को अनावेदक शकील पिता याकूब ने पंचायत की अनुमति और रसीद के बिना विवादित स्थल पर अपने पुत्र का निकाह कार्यक्रम आयोजित कर दिया। जब पंचायत ने इस पर आपत्ति जताई, तो दूसरे पक्ष ने अभद्रता करते हुए कहा कि वे शासन के कोर्ट के किसी आदेश को नहीं मानते और यह जमीन उनकी वक्फ संपत्ति ही रहेगी। इस घटना के बाद सरपंच पक्ष द्वारा मोघट रोड थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी।

सिहाड़ा भूमि विवाद

पीर बाबा दरगाह क्षेत्र में आयोजनों पर प्रतिबंध, कलेक्टर के आदेश जारी

खंडवा. खंडवा 13 जनवरी 2026, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री ऋषव गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर ग्राम सिहाड़ा स्थित पीर बाबा दरगाह के आसपास की विवादित भूमि पर किसी भी तरह के धार्मिक, सामाजिक और निजी आयोजनों को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार ग्राम सिहाड़ा की सीमा में किसी भी तरह के धार्मिक, सामाजिक आयोजन से पूर्व अब सक्षम अधिकारी की अनुमति लेना आवश्यक होगा। इस प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दंड का भागीदार होगा। यह आदेश 12 मार्च 2026 तक प्रभावशील रहेगा।

मकर संक्रांति पर विशेष धार्मिक आयोजन

नवभारत न्यूज

खंडवा. शहर में मकर संक्रांति का पावन पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। विद्वान पंडितों के मतानुसार इस वर्ष यह पर्व 14 और 15 जनवरी को मनाया जाएगा। मुख्य रूप से शहर की प्राचीन श्रीगणेश गौशाला और प्रमुख मंदिरों में 14 जनवरी, बुधवार को विशेष धार्मिक आयोजन संपन्न होंगे। समाजसेवी व प्रवक्ता सुनील जैन ने पर्व के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि जिस दिन भगवान सूर्यनारायण उत्तर दिशा की ओर प्रयाण करते हैं, उस दिन उत्तरायण यानी मकर संक्रांति मनाई जाती है। यह हिंदू धर्म का एकमात्र ऐसा पर्व है जो तारीख के अनुरूप 14 जनवरी को आता है। इस दिन से अंधकारमयी रातें छोटी और प्रकाशमय दिवस बड़े होने लगते हैं। प्रकृति का यह परिवर्तन मानव जीवन को भी दान-पुण्य और सेवा के माध्यम से उन्नति की ओर अग्रसर करने की प्रेरणा देता है। मकर संक्रांति को भव्य रूप से मनाने के लिए श्रीगणेश गौशाला में विगत दिनों मातृशक्ति की एक बैठक भी आयोजित की गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने पर्व को उत्साहपूर्वक मनाने का निर्णय लिया था। प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी 14 जनवरी को गौशाला में श्रद्धालु प्रात:काल पहुंचकर गौमाता का पूजन करेंगे और उन्हें हरा चना, गुड़ व गोग्रास खिलाएंगे। इस दौरान उपस्थित महिलाएं एक-दूसरे को हल्दी-कुमकुम लगाकर, तिल्ली के लड्डू खिलाकर सुहाग सामग्री का आदान-प्रदान भी करेंगी।

इसके अतिरिक्त शहर के अन्य मंदिरों, विशेषकर बजरंग चौक स्थित विट्ठल मंदिर और मुनी बाबा मंदिर में भी प्रात:काल से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहेगा। यहां महिलाएं दर्शन के बाद मंदिर प्रांगण में हल्दी-कुमकुम की रस्म निभाएंगी और तिल्ली के लड्डू खिलाकर मुंह मीठा कराएंगी। मकर संक्रांति तिल के लड्डू की मिठास और दान-पुण्य का दिन है, इसलिए इस अवसर पर गरीबों को दान स्वरूप खिचड़ी भी वितरित की जाएगी।

गौशाला के अध्यक्ष राकेश बंसल, सचिव रामचंद्र मौर्य, भूपेंद्र सिंह चौहान, आशीष चटकेले और सुनील जैन ने सभी धर्मप्रेमी जनता से अनुरोध किया है कि वे मकर संक्रांति पर आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होकर, गौ सेवा और दान-पुण्य कर पुण्य लाभ अर्जित करें।

पंधाना में विकासखंड स्तरीय सूर्य नमस्कार कार्यक्रम

खंडवा. राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आज सोमवार को शासकीय सांदीपनि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पंधाना में विकासखंड स्तरीय सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम योग प्रशिक्षक श्री योगेश राठौर के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ, जिसमें विद्यार्थियों एवं शिक्षकों ने सामूहिक रूप से योगाभ्यास एवं सूर्य नमस्कार किया।कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ब्रह्माकुमारी से पधारी सुरेखा दीदी, कन्या शिक्षा परिसर के प्राचार्य श्री मनीष झरिया, बीआरसी महोदय श्री हरे सिंह वास्कले तथा विकासखंड शिक्षा अधिकारी श्री जयेश पाटीदार उपस्थित रहे। शासकीय सांदीपनि विद्यालय पंधाना, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पंधाना, कन्या शिक्षा परिसर पंधाना एवं माध्यमिक शाला पंधाना के संयुक्त तत्वावधान में यह आयोजन किया गया।सुरेखा दीदी ने स्वामी विवेकानंद के विचारों का आवाहन करते हुए विद्यार्थियों को आत्मबल, अनुशासन एवं राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा दी।

E-TENDER NOTICE 2026-27

IHCL

THE INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED

We invite tenders for the following items/services for Taj Lakefront, Bhopal unit of Genex Hotels Pvt. Ltd. from reputed suppliers /contractors on annual contract basis for the financial year 2026-27 i.e. from 01 April 2026 to 31 March 2027.

Food & Beverage Items: Milk & Milk Products, Paneer, Groceries & Provision Items, Packaged & Whole Spices, Dry Fruits, Atta & Maida, Frozen Green Peas & Corns, Tinned & Bottled Products, Chicken, Mutton, Bread, Eggs and Poultry Products, Fresh & Frozen Prawns and Seafoods, Frozen Meat & Fish Products, Fresh Vegetables (Indian and imported), Fruits, Fresh Noodles, Fresh Kulfi & Falooda, Dry Ice, Ice Cube & Block.

Other Supplies : Catering, Cleaning, Packing and other Disposable Items (Food Grade Plastic/ Paper), Printing, Office Stationery & Computer Consumable, General Hardware Items, Sanitary & Electrical items, Plywood, Charcoal, News Papers Supplies.

Note: HACCP / ISO certified vendors would be preferred. Certification / labelling for all products & temperature for chilled and frozen items as per FSSAI standard is mandatory.

Vendors can be registered by accessing the web link below to obtain registration/E-Tender forms. E-Tender forms will be available from 13th January 2026 till 22th January' 2026 on the below-mentioned credentials. Those who aspire to apply for tender form allocation should remit online ₹1000/- (non-refundable) to obtain a tender form in each category. Online Vendor registration form dully filled along with quotation should be submitted online on or before 22th January 2026, All Tenderers proposing to apply Should HAVE ALL THE MANDATORY LICENSES TO CONDUCT BUSINESS AND SHOULD be compliant to FSSAI Act / Rules and regulations as of date and APPLICABLE FROM TIME TO TIME.

Certification & Labelling of all the products & temperatures for chilled frozen items as per FSSAI Standards is mandatory. HACCP / ISO Certified Vendor will be preferred. The window for submitting the initial rates will open till the last date 22th January' 2026

WE THE MANAGEMENT OF TAJ LAKEFRONT BHOPAL A UNIT OF GENEX HOTEL PVT. LTD. RESERVE THE RIGHT TO ACCEPT / REJECT THE TENDER. QUOTE TO BE SUBMITTED ONLINE.

NO PRINTOUT / PHYSICAL COPY WILL BE ACCEPTED.

Link for Downloading Tender Documents & participating for E-tendering Bhopal region- **https://etendering.tajhotels.com/bhopal**

Last date of Submission of Tender Form is 22.01.2026
For further details, please contact:
Purchase Department at +91 755 437 0040, +91 88189 05500

Link Road No. 3, Prempura, Bhadbhada Chouraha, Bhopal - 462003, India.